फर्द अहकाम

प्रेम देवी बनाम मांग्या वगै0

30/2014

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
.07.2023	पत्रावली वास्ते आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी/प्रतिवादी अधिवक्ता ने बहस में अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त उनवानी वाद वादिया ने विवादग्रस्त आराजी बाके ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ रातल्या तहसील सांगानेर में स्थित होना स्वीकार कहते हुये बरूए शजरा बिज्या के पुत्र मांग्या की पुत्री होने से सम्पूर्ण भूमि पैतृक दर्शित करते हुए वाद बाबत घोषणा तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है। मिन प्रतिवादी संख्या 1 अपने जवाबदावें के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए सम्पूर्ण भूमि जिसको विवादित दर्ज किया है गलत एवं अस्वीकार है। खाता संख्या 92, 93, 94 एवं 177 में चिन्हित खसरा नम्बर 527, 529, 530, 741, 535, 488, 490, 491, 493 हिस्सा 1/2 तथा सम्पूर्ण खसरा नम्बर 536 में 3/4 का हिस्सा 1/3 खातेदार जयनारायण पुत्र जगन्नाथ से 01.07.1983 का पंजीबद्ध विक्रय पत्र से क्रय कि जो पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 84 क्रम संख्या 484 पृष्ठ संख्या 60 से 64 पर दर्ज हुआ। इसी प्रकार खाता संख्या 176 के हाल खाता नम्बर 506, 507, 508 लगायत 515 भी जयनारायण पुत्र जगन्नाथ से पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01.07.1983 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 84 क्रम संख्या 483 पृष्ठ संख्या 52 से 59 पर दर्ज किया गया है। खाता संख्या 175 में खाता नम्बर 423, 424, 425, 426, 432 व 433 जो कि पूर्व खाता नम्बर 330 व 332 से बने जिनका भी पूर्व खाता नम्बर 252 व 253 रहा है जो मांग्या पुत्र बिज्या कि जोत के आधार पर उसके नाम दर्ज रही है और बिज्या के नाम कभी नही रही जिस बाबत एक प्रकरण अतिरिक्त कलेक्टर महोदय द्वितीय के यहाँ सीताराम बनाम सूआलाल विचाराधीन है जिसमें दिनांक 02.07.2014 मुकरर है। ऐसी अवस्था में भी उक्त नम्बरान बाबत दो विभिन्न न्यायालयों में परस्पर विरोधाभासी निर्णय पारित नही किया जा सकता है। वादिया को मिन आपत्ति कर्ता की भूमियों में कोई घोषणा के अधिकार न है और न हो सकते है। वादिया को आपत्ति कर्ता के विरूद्ध कोई वाद हेतुक उत्पन्न नही हुआ। वाद पत्र विधि विरूद्ध होने से वाद वादिया नाकाबिले रफत है और खारिज योग्य है। मिन आपत्तिकर्ता की पैदा कर्ता भूमि जिसे उसे उपयोग उपभोग करने का स्वतन्त्र है जिनमें से कतिपय भूमियों को आपत्तिकर्ता पंजीकृत दस्तावेज से हस्तान्तरण कर चुका है जिनका राजस्व रिकार्ड में अमल हो चुका है। वादिया को मिन प्रतिवादी के विरूद्ध वाद हेतुक कब अथवा कैसे उत्पन्न हुआ जिसका स्पष्ट उल्लेख वादिया	उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

नही किया है जिससे वाद वादिया खारिज योग्य है। वादियो का वाद बोगस, दुर्बल होने से नाकाबले पेश रफत है और इसी बिनाह पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार फरमाया जाकर वादिया का वाद खारिज किया जावे। अप्रार्थी/वादिया अधिवक्ता ने बहस में अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में दिये गये समस्त आधार आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 में दिये गये आधारो मे शुमार नही होते है तथा उक्त आधारों पर आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत वादी का वाद पत्र कतई खारिज नही फरमाया जा सकता है, प्रतिवादी संख्या एक ने अपने प्रार्थना पत्र में कही उल्लेख नही किया है कि वादिनी का वाद किस प्रकार एवं कौनसी विधि से वर्जित है, प्रतिवादी संख्या एक का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने योग्य है।

बहस उभयपक्षकारान पर मनन किया व पत्रावली मे दस्तावेजात व न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि वादिया ने वादग्रस्त भूमि पैतृक एवं पुश्तैनी बताते हुये वाद पत्र प्रस्तुत किया है जबकि उक्त वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ने जयनारायण पुत्र जगन्नाथ से पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय किया है जो विक्रय पत्र की प्रतियों से स्पष्ट है इस प्रकार उक्त वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की स्वअर्जित भूमि होना साबित है। वादिया की ओर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 4 में वादिया ने स्वयं ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वादग्रस्त सम्पति वादिनी की पैतृक एवं पुश्तैनी सम्पति नही है इससे भी स्पष्ट हो चुका है कि वादग्रस्त भूमि वादिया की पैतृक आराजी नही है और ना ही कभी रही है। वादिया द्वारा अपने वाद में वादकारण का स्पष्ट उल्लेख नही किया है कि उसे वादकारण कब और कैसे उत्पन्न हुआ जिसके अभाव में वादिया का वाद चलने योग्य नही है। उक्त वादगस्त भूमि के सम्बन्ध में भी एक अन्य प्रकरण ओर लम्बित है इसलिए इस वाद में ऐसा कोई निर्णय पारित नही किया जा सकता है जिससे वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का परिवर्तन हो, इन सभी तथ्यों के विचारण से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की स्वअर्जित भूमि है जिसमें वादिया का कोई हक व अधिकार नही है जो वादिया इस वाद के माध्यम से प्राप्त कर सके, ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 स्वीकार किया जाकर वादिया का वाद खारिज किया जाता है। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बा तकमील दाखिल दफ्तर हो।

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी**, सॉगानेर (द्वितीय) मुकाम सॉगानेर जयपुर व

इजलास **एकता काबरा, आर.ए.एस.**

वाद पत्र संख्या : 30 / 2014

1. प्रेम देवी पुत्री श्री मांग्या उर्फ मांगू पत्नी श्री सीताराम शर्मा, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ रातल्या, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

वादिया

बनाम

1. मांग्या उर्फ मांगू पुत्र स्व0 बीज्या, जाति बागडा ब्राह्मण
2. बाबूलाल शर्मा पुत्र मदन लाल शर्मा, जाति बागडा ब्राह्मण
3. सुरेश शर्मा पुत्र मदन लाल शर्मा, जाति बागडा ब्राह्मण
4. गणेश नारायण शर्मा पुत्र मदन लाल शर्मा, जाति बागडा ब्राह्मण
5. श्रीमति बिदाम देवी पत्नी स्व0 प्रभूनारायण शर्मा, जाति बागडा ब्राह्मण

   समस्त निवासीगण ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ रातल्या, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

7. श्रीमति कल्याणी देवी पुत्री मांग्या उर्फ मांगू पत्नी चन्दालाल, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम केश्यावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
8. श्रीमति गोपाली पुत्री मांग्या उर्फ मांगू पत्नी सीताराम, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी बागडो की बड, सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
8. श्रीमति लाली पुत्री मांग्या उर्फ मांगू पत्नी हरिनारायण, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी मनोहरियावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
9. सावित्री पुत्री मांग्या उर्फ मांगू पत्नी रमेश, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी हवाला की ढाणी, ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, पता– तहसील कार्यालय सांगानेर, जिला जयपुर।
11. उप पंजीयक सांगानेर प्रथम, पता– नगर निगम रोड, सांगानेर, जिला जयपुर।
12. सुवालाल पुत्र मोहरू, जाति बागडा ब्राह्मण
13. देवालाल पुत्र मोहरू, जाति बागडा ब्राह्मण
14. बिरदीचन्द पुत्र श्योनारायण, जाति बागडा ब्राह्मण
15. रामपाल पुत्र श्योनारायण, जाति बागडा ब्राह्मण
16. धापू देवी पत्नी चुन्नीलाल, जाति बागडा ब्राह्मण
17. चुन्नीलाल पुत्र नानूलाल, जाति बागडा ब्राह्मण

    समस्त निवासीगण ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ रातल्या, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

वाद बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं सीमांकन अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, सॉगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादिया मिन जानिब मुद्दई रूबरू मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 स्वीकार किया जाकर वादिया का वाद खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.07.2020 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत

ओहदा

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वहसबूत	1	00	महन्ताना वकील	1	00
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हरदी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(एकता काबरा)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर।

आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)